न्यायालयः–सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रहली, जिला सागर (म0प्र0)

(समक्ष–नितिन वर्मा)

व्यवहार प्रकरण क्रमांक–22ए/2022
Registration No. RCS-A/211/2022
Registration Date-01-10-2022

01. राजेन्द्र कुमार पिता स्व. कालका प्रसाद अवस्थी आयु–70 वर्ष,
निवासी प्लॉट नंबर 39, श्री पैलेस के सामने, सैनिक सोसायटी रोड,
शक्तिनगर जबलपुर (म.प्र.)
02. नरेन्द कुमार पिता स्व. कालका प्रसाद अवस्थी आयु–67 वर्ष,
निवासी प्लॉट नंबर 39, श्री पैलेस के सामने, सैनिक सोसायटी रोड,
शक्तिनगर जबलपुर (म.प्र.)
03. सुशीला बाई, बेबा स्व. प्रेमशंकर अवस्थी आयु– 78 वर्ष,
04. परसराम पिता प्रेमशंकर अवस्थी आयु–54 वर्ष,
05. प्रवीण पिता स्व. प्रेमशंकर अवस्थी आयु–30 वर्ष,
06. संजय पिता स्व. प्रेमशंकर अवस्थी आयु–26 वर्ष,
07. सुश्री प्रमिला पुत्री स्व. प्रेमशंकर अवस्थी आयु–48 वर्ष,
निवासी–वार्ड क्रं.–2 खमरिया रहली जिला सागर म.प्र.

:::: (वादी)

:::: विरूद्ध ::::

01. अंबिकाचरण पिता स्व. कालका प्रसाद अवस्थी, आयु 90 वर्ष,
निवासी–वार्ड क्रं.–2 खमरिया रहली जिला सागर म.प्र.
02. सुदामा प्रसाद पिता स्व. कालका प्रसाद अवस्थी, आयु–76 वर्ष,
निवासी–ई आई. 123 ए अरेरा कॉलोनी, भोपाल म.प्र.
03. श्रीमति लक्ष्मीबाई पति डी.एन. दुबे पुत्री स्व. कालका प्रसाद अवस्थी,
आयु–73 वर्ष,
हाल निवासी–प्लाट नंबर 30 पंजाब नेशनल बैंक के बाजू में, शक्तिनगर
जबलपुर म.प्र.
04. म.प्र. शासन
द्वारा कलेक्टर महोदय सागर जिला सागर

::::: (प्रतिवादीगण)

.....

वादीगण द्वारा – श्री रत्नेश पटैल अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रं. 1 द्वारा– श्री एल.पी. यादव अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रं. 2, 3 एवं 4 पूर्व से एकपक्षीय।

.....

:::: **आदेश** ::::

(आज दिनांक 24.05.2024 को घोषित)

1. इस आदेश के द्वारा वादीगण/आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी.पी.सी. आई.ए.नं.–1/2022 का निराकरण किया जा रहा है।

2. वादी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र संक्षिप्तः इस प्रकार है कि, वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता स्व. कालका प्रसाद ने अपने जीवनकाल में संयुक्त परिवार की आय एवं पैत्रिक संपत्ति स्थित ग्राम बरखेडा तहसील रहली को विक्रय कर प्राप्त आय से भूमि खसरा नंबर 658, 672, 673, 906, 909, 912 एवं 361 कुल रकबा 7.577 हे. प्रतिवादी क्रमांक–1 अंबिका प्रसाद एवं स्व. रामबाई के नाम से क्रय की थी। उक्त खसरा नंबरों का वर्तमान में रिनंबरिंग के पश्चात खसरा नंबर 485/1 रकबा 1.704, ख.न. 489 रकबा 1.173 हे. ख.न.– 490/2 रकबा 0.202 हे. ख.न. –594 रकबा 1.497 हे. एवं ख.न.–641 रकबा 3.001 हे. कुल रकबा 7.577 हे. हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादी क्रमांक 1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रमांक 1,2 एवं 3 के पिता स्व. कालका प्रसाद ने प्रतिवादी क्रमांक–1 अंबिका चरण एवं अपनी पत्नि रामबाई के नाम से क्रय की थी, जिसके पश्चात स्व. कालका प्रसाद अपने जीवनकाल में उक्त संपत्ति की देखरेख करते रहे तत्पश्चात उनकी पत्नि रामबाई और रामबाई की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी क्रमांक–1 अंबिका चरण उक्त भूमि की देखरेख की जा रही है। उक्त भूमियॉ प्रतिवादी क्रमांक–1 एवं रामबाई के नाम से राजस्व अभिलेख में शामिल सरीख दर्ज चली आ रही है। वादीगण क्रमांक 3,4,5,6 एवं 7 के पिता प्रेमशंकर की आय का कोई जरिया न होने के कारण स्व. कालका प्रसाद ने विवादित भूमि में से 3 एकड भूमि खेत बडी डईया प्रेमशंकर को कृषि के लिए दिया था और प्रेमशंकर उक्त भूमि पर कृषि करते थे और उसकी मृत्यु के पश्चात वादी क्रमांक 4 लगायत 7 उक्त भूमि के आधिपत्य में रहे हैं।

02. वादीगण की ओर से आगे व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी

क्रमांक–2 प्रतिवर्ष वादीगण के हक व हिस्से की फसल के रूप में नगद राशि भी वादीगण को प्रदान करता था परन्तु कोविड के दौरान वादीगण के काम प्रभावित होने से जब वादीगण ने प्रतिवादी क्रमांक–1 से उनके हक व हिस्से की बात कही तब प्रतिवादी क्रमांक–1 ने पूर्णतः इंकार कर दिया, जिसके पश्चात राजस्व अभिलेखों को निकाले जाने पर वादीगण को यह जानकारी हुई कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादीगण की मॉ रामबाई के नाम की संपत्ति का नामांतरण भी उसके पक्ष में करा लिया है और वादीगण के द्वारा उक्त भूमि में हक व हिस्सा मांगे जाने पर विवादित भूमि को विक्रय करने की धमकी प्रतिवादी क्रमांक–1 के द्वारा दी जा रही है। ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादी क्रमांक–1 के द्वारा उक्त विवादित भूमि का विक्रय कर दिया जाता है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी अतः वादी ने विवादित भूमि को विक्रय करने व अन्य संक्रमण द्वारा व्ययनित करने से रोकने तथा विवादित भूमि के डैया वाले खेत के आधिपत्य से बेदखल करने से रोकने के संबंध में अस्थाई निषेघाज्ञा प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

03. उक्त आवेदन का प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से जबाव प्रस्तुत कर अधिकांश अभिवचनों को अस्वीकार करते हुये संक्षिप्ततः व्यक्त किया गया है कि, प्रतिवादी का जन्म 12.10.1934 को हुआ था तथा विवादित भूमि के क्रय करने के संबंध में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 10.12.1940 के समय तक अन्य किसी वादीगण का जन्म नहीं हुआ था। विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक–1 को उसके नाना द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से प्रदान की गई थी परन्तु प्रतिवादी से कोई मुआवजा राशि नहीं ली गई थी इस प्रकार उक्त विक्रय पत्र दान का रूप था। प्रतिवादी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके पुत्र नौकरी में है और उसे भूमि विक्रय करने की आवश्कयता नहीं है तथा उसके आय के पर्याप्त साधन है। उसके द्वारा विवादित भूमि विक्रय नहीं की जा रही है। प्रतिवादी क्रमांक–1 के वादीगण को पूर्व में कोई हक व हिस्सा प्रदान नहीं किया गया है और न ही वह विधि अनुसार कोई हिस्सा पाने के पात्र हैं। प्रतिवादी की आयु 94 वर्ष की है इस कारण वह चलने फिरने में लाचार हो गया है। अतः प्रतिवादी क्रमांक–1 की ओर से वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

04. प्रतिवादी क्रं. 2 लगायत 4 को पूर्व से एकपक्षीय घोषित किया गया है।

05. अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह हैं कि :–

1. क्या प्रथमदृष्टया वाद वादी/आवेदक के पक्ष में है ?
2. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने से वादी/ आवेदक को अपूर्णीय क्षति कारित होगी ?
3. क्या सुविधा का सन्तुलन अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने के पक्ष में है ?

::– सकारण विवेचना –::

:: विचारणीय प्रश्न–1 का निराकरण ::

06. वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में विक्रय पत्र दिनांक 10.12.1940 की सत्यप्रतिलिपि, रीनंबरिंग सूची की सत्यप्रतिलिपि, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, वसीयतनामा दिनांक 03.04.1996 एवं दिनांक 03.11.1989 की छायाप्रतियॉ, नकल आवेदन दिनांक 23.11.2021 की सत्यप्रतिलिपि, खसरा वर्ष 1993 से 1998, खसरा वर्ष 1998 से 2003, खसरा बी–1 1955–56 एवं खसरा बी–1 2012–13 की सत्यप्रतिलितियॉ प्रस्तुत की गई है।

07. प्रतिवादी क्रमांक–1 ने अपने पक्ष समर्थन में राजेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार, प्रेमशंकर, सुदामा प्रसाद, लक्ष्मीबाई के जन्म तिथि प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपियॉ, खसरा वर्ष 2023–24 की सूचना केन्द्र रहली से प्राप्त सत्यप्रतिलिपि एवं विक्रय पत्र दिनांक 10.12.1940 की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

08. वादीगण ने अपने वादपत्र में इस आशय के अभिवचन किये है कि वादीगण के पूर्वज स्व. कालका प्रसाद के द्वारा विवादित भूमि उसके पुत्र प्रतिवादी क्रमाक–1 एवं पत्नि रामबाई के नाम से संरक्षक एवं बलि के रूप में संयुक्त परिवार की संपत्ति से अर्जित आय से क्रय की गई थी। इस संबंध में प्रतिवादी क्रमांक–1 की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि उक्त भूमि उसके नाना ने बिना मुआवजा राशि प्राप्त किये उसे दान के रूप में प्रदान की थी इस प्रकार विक्रय पत्र दिनांक 10.12.1940 दान का ही रूप है। प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक–1 के भाई एवं बहन की की आयु के संबंध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है उनके अवलोकन से प्रथम दृष्टया दर्शित है कि प्रतिवादी क्रमांक–1 को छोडकर शेष सभी का जन्म विक्रय पत्र दिनाक 10.12.1940 के निष्पादन के पश्चात हुआ था। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक–1 की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से प्रथक दृष्टया से दर्शित है कि वादग्रस्त भूमि वर्ष 1955 से 1956, वर्ष 1994 से 1995, में प्रतिवादी क्रमांक–1 एवं मॉ रामबाई बेमा कालका प्रसाद के नाम दर्ज होना प्रथम दृष्टया

दर्शित है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1999 से 2003, वर्ष 2012–13 तथा वर्ष 2023–24 में प्रतिवादी क्रमांक–1 अंबिका चरण के नाम पर दर्ज होना प्रथम दृष्टया होना दर्शित है। यहां यह भी अवलोकनीय है कि प्रकरण में वादीगण की ओर से वसीयतनामा दिनांक 03.11.1989 एवं 04.03.1996 की छायाप्रतियॉ प्रस्तुत की गई हैं। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह दर्शित है कि रामबाई के द्वारा पूर्व में जो वसीयतनामा में उसकी भूमि एवं मकान पांचों भाईयों में बराबर हिस्सा होने के संबंध में उल्लेख है परन्तु पश्चातवर्ती वसीयतनामा दिनांक 04.03.1996 में उसके द्वारा समस्त संपत्ति प्रतिवादी क्रमांक–1 को प्रदान किये जाने के संबंध में उल्लेख किया गया है। तत्पश्चात प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार रामबाई की मृत्यु दिनांक 11.04.1996 को होना प्रथम दृष्टया दर्शित है।

09. यहां यह उल्लेखनीय है कि वसीयतनामा दिनांक 04.03.1996 वादीगण की मॉ की मृत्यु के लगभग 37 दिवस पूर्व लेख किया जाना दर्शित है। वादीगण की ओर से उक्त समस्त विवादित संपत्ति उनके पूर्वज स्व. कालका प्रसाद के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक–1 एवं मॉ रामबाई के नाम से संयुक्त परिवार की संपत्ति से अर्जित आय से क्रय किये जाने का अभिकथन किया गया है। उक्त तथ्यों के आलोक में यहां न्याय दृष्टांत **एम. गुरूदास विरूद्ध रसरंजन, (2006) 8 एस.सी.सी. 367** अवलोकनीय है जिसमे यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रथम दृष्ट्या मामला किस स्तर का होना चाहिये ? वादी का प्रथम दृष्ट्या विचारण योग्य मामला होना चाहिये, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी उसके पक्ष में होना चाहिये और इनमें से कोई भी एक न हो तो निषेधाज्ञा से इंकार किया जा सकता है, वादी द्वारा जो विचारण योग्य मामला उठाया गया है वह एक गंभीर प्रश्न होना चाहिये वादी का आचरण भी महत्वपूर्ण होता हैं। वादी के द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वत्व घोषणा, बंटवारा तथा स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादीगण की ओर से जो तथ्य एवं दस्तावेज अपने पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत किये गये है उनके आधार पर प्रथम दृष्टया यह दर्शित है कि पूर्व में विवादित भूमि पर रामबाई का नाम भी प्रतिवादी क्रमाक–1 के साथ दर्ज रहा है एवं विक्रय पत्र दिनांक 10.12.1940 भी प्रतिवादी क्रमांक–1 के नाबालिग होने के समय उसकी माता रामबाई के सरक्षक एवं बलि के रूप में निष्पादित किया गया था, जिससे प्रथम दृष्टया यह दर्शित है कि प्रतिवादी क्रमाक–1 की कोई आय होना उस समय पर दर्शित नहीं है और न ही इस संबंध में प्रतिवादी क्रमांक–1 के द्वारा कोई कथन किये गये हैं एवं उक्त तथ्य के विपरीत उक्त विक्रय पत्र को दान का रूप होना अभिकथित किया गया है। इस प्रकार वादीगण के द्वारा अपने विधिक अधिकार के संबंध में ऐसा प्रश्न उठाया गया है, जिसको

साक्ष्य लेकर तय किया जाना आवश्यक है। अतः प्रस्तुत तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये वादी को वाद में सफल होने की प्रबल संभावना होना भी दर्शित है। फलतः प्रथमदृष्टया वाद वादी के पक्ष में स्थापित है।

:: विचारणीय बिंदु क्रमांक 2 ::

10. अपूर्णनीय क्षति के संबंध में यहां यह अवलोकनीय है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा वादग्रस्त संपत्ति पर यदि दावे के प्रचलन के दौरान विवादित भूमि को विक्रय अथवा अन्य किसी रूप से व्ययनित किया जाता है, तब ऐसा करने से किसी तृतीय पक्ष के हित का सृजन होना स्वभाविक है, तब ऐसी स्थिति में निश्चित ही वादी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं वाद की बहुल्यता बढ़ने की भी संभावना है। यहां यह भी अवलोकनीय है कि वादग्रस्त संपत्ति पर प्रतिवादी क्रमांक 1 को विवादित भूमि को विक्रय अथवा अन्य किसी रूप से व्ययनित करने से रोका जाता है, तो प्रतिवादी क्रमांक 1 पर कोई विपरित प्रभाव नही पड़ेगा और न ही प्रतिवादी को ऐसी क्षति होगी जिसकी प्रतिपूर्ति धन के रूप में नहीं की जा सकेगी, किंतु यदि प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा विवादित भूमि को विक्रय अथवा अन्य किसी रूप से व्ययनित कर दिया जाता है तब वादीगण को निश्चत ही ऐसी क्षति होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति धन के रूप में किया जाना संभव नहीं होगा। अतः अपूर्णनीय क्षति के विचारणीय बिंदू भी वादी के पक्ष में सिद्ध होता है।

:: विचारणीय बिंदु क्रमांक 3 ::

11. सुविधा के संतुलन के संबंध में नियम यह है कि निषेधाज्ञा जारी किये जाने से विपक्ष को होने वाली असुविधा एवं निषेधाज्ञा जारी न किये जाने पर वादी को होने वाली असुविधा की तुलना में अधिक नही होगी। चुंकि प्रथम दृष्टया वाद एवं अपूर्णीय क्षति के प्रश्न का निराकरण वादीगण के पक्ष में हो चुका है इस प्रकार यहां यह भी दर्शित है कि यदि वादी के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो वादी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी एवं निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर प्रतिवादी क्रमांक 1 को तुलनात्मक असुविधा होना संभावित नही है। इससे यह दर्शित होता है कि सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है।

12. उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी प्रथमदृष्टया मामला, अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादीगण की ओर से डैया वाला खेत वादीगण की मॉ क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7 के आधिपत्य के होने के संबंध में कथन

किये गये है परन्तु उक्त संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं हुए है तब ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता वादीगण का आधिपत्य उक्त खेत पर रहा है। **अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।** फलतः प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के निराकरण अथवा न्यायालय के आगामी आदेश दोनों में से जो भी पूर्व हो, तक विवादित भूमि को न तो विक्रय करे और न ही उक्त विवादित भूमि को अन्य किसी रूप से व्ययनित कर किसी तृतीय पक्ष के हित सृजित करें।

13. आवेदन का व्यय प्रकरण के अंतिम निराकरण के अनुसार देय होगा।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया।

(नितिन वर्मा)
सिविल न्यायाधीश क.खं.
रहली जिला सागर (म.प्र.)

मेरे बोलने पर टाईप किया गया।

(नितिन वर्मा)
सिविल न्यायाधीश क.खं.
रहली जिला सागर (म.प्र.)